68 एल पैरा के तहत दावा फाईल करने के लिए सदस्यों को अनुदेश

क. "कोविड-19 महामारी का प्रकोप" से संबंधित ऑनलाईन क्लेम फाईल करने के लिए पात्रता

1. यूएएन एक्टिव होना चाहिए
2. सत्यापित आधार, यूएएन के साथ लिंक्ड होना चाहिए
3. आईएफएससी कोड सहित बैंक खाता यूएएन के साथ सीड होना चाहिए

ख. पात्र राशि

भविष्य निधि बैलेंस के 75% तक (कर्मचारी का भाग एवं नियोक्ता का भाग) अथवा
3 माह का मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता अथवा सदस्य द्वारा क्लेम की गई राशि, जो भी सबसे कम हो

ग. "कोविड-19 महामारी का प्रकोप" से संबंधित ऑनलाईन एडवांस क्लेम कैसे फाईल करें

1. यूनिफाईड पोर्टल के सदस्य इंटेरफेस पर लॉग-इन करें (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface)
2. **Online Services>> Claim (Form-31,19,10 C& 10 D)** पर जाएं
3. अपनी बैंक खाता संख्या के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और सत्यापित करें
4. **"Proceed for Online Claim"** पर क्लिक करें
5. ड्रॉप डाउन से PF Advance **(Form 31)** को चुनें
6. ड्रॉप डाउन से purpose के रूप में **"Outbreak of pandemic (COVID-19)"** को चुनें
7. अपेक्षित राशि दर्ज करें और चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करें और अपना पता दर्ज करें
8. **"Get Aadhaar OTP"** पर क्लिक करें
9. आधार लिंक्ड मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें
10. क्लेम फाईल हो गया है